

भारत सरकार  
रक्षा मंत्रालय  
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 438  
03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

सैनिक कल्याण बोर्ड

438. श्री रतन लाल कटारिया:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देशभर में कार्य कर रहे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सैनिक कल्याण बोर्डों की संख्या कितनी है और इन बोर्डों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित विचारित मुद्दों/लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) हरियाणा के जिला सैनिक कल्याण बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की जिला-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) देश भर में 34 राज्य सैनिक बोर्ड और 409 जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्य कर रहे हैं। ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा विचारित विषयों/लिए गए निर्णयों का ब्यौरा सहित दायित्व/कार्य अनुबंध-2 में दिए गए हैं।

(ख) हरियाणा के जिला सैनिक कल्याण बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की जिला सैनिक कल्याण बोर्ड-वार संख्या अनुबंध-3 में दी गई है।

\*\*\*\*\*

सैनिक कल्याण बोर्ड के बारे में लोकसभा में दिनांक 03.02.2023 को उत्तर देने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 438 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सैनिक कल्याण बोर्ड	जिला सैनिक बोर्डों की संख्या
1.	आंध्रप्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	19
4.	बिहार	13
5.	छत्तीसगढ़	10
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	9
8.	हरियाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	झारखंड	6
11.	कर्नाटक	13
12.	केरल	14
13.	मध्य प्रदेश	24
14.	महाराष्ट्र	33
15.	मणीपुर	2
16.	मेघालय	2
17.	मिजोरम	4
18.	नागालैंड	6
19.	ओडिशा	8
20.	पंजाब	22
21.	राजस्थान	24
22.	सिक्किम	3
23.	तमिलनाडु	27
24.	त्रिपुरा	0
25.	तेलंगाना	10

26.	उत्तराखंड	14
27.	उत्तरप्रदेश	74
28.	पश्चिम बंगाल	13
<b>संघ राज्य क्षेत्र</b>		
29.	चंडीगढ़	0
30.	दिल्ली	0
31.	पुडुचेरी	0
32.	जम्मू व कश्मीर	13
33.	लद्दाख	2
34.	अंडमान व निकोबार	0
कुल	34	409

सैनिक कल्याण बोर्ड के बारे में लोकसभा में दिनांक 03.02.2023 को उत्तर देने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 438 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-2

**राज्य सैनिक बोर्ड के दायित्व:** राज्य में जेडएसडब्ल्यू कार्यालयों के कार्य का नियंत्रण और समन्वय और उनका कुशल कार्य सुनिश्चित करना । आरएसबी राज्य के मंत्रालयों, राज्य उपक्रम और उद्यमों एवं बैंकों के साथ भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार रिक्तियों की मांग करने और भर्ती नियमों के अनुसार ऐसी रिक्तियों की निगरानी करने और भूतपूर्व सैनिकों अथवा विधवाओं की इन रिक्तियों में भर्ती सुनिश्चित करने और केन्द्र के अनुरूप में राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संबंधी नीति तैयार करने के लिए राज्यों के मंत्रालयों के साथ संपर्क भी बनाए रखता है ।

**जिला सैनिक कार्यालयों/जिला सैनिक बोर्ड के दायित्व:** जेडएसबी सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के कल्याण की निगरानी करता है और उनके मामलों को स्थानीय प्रशासन अथवा रक्षा प्राधिकरणों के सामने प्रस्तुत करने में सहायता करता है । प्रत्येक जेडएसडब्ल्यूओ/आरएसबी में नियोजित कल्याण आयोजक अपने घरों में ग्राहकों के साथ संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं को सूचीबद्ध करने, इन जेडएसडब्ल्यूओ/आरएसबी के संबंध में सूचना प्रदान करने, इनका समाधान करने एवं मौजूदा पुनर्वास और कल्याण उपाय जिनको वे प्राप्त कर सकते हैं, की जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । जेडएसबी विभिन्न सैन्य और सिविल धर्मार्थ निधियों से राहत और उचित सिफारिशें बनाने एवं युद्ध विधवाओं, आश्रितों और युद्ध निःशक्तों को तथा उनको जो आरोग्य कारणों की वजह से सेवा के दौरान दिवंगत/निशक्त हो गए हैं, को सभी पुनर्वास सहायता प्रदान करने हेतु आवेदनों की जांच भी करता है ।

**सैनिक कल्याण बोर्ड के बारे में लोकसभा में दिनांक 03.02.2023 को उत्तर देने के लिए  
अतारांकित प्रश्न सं. 438 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-3**

30.09.2022 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों का जनगणना डाटा-हरियाणा					
क्रम सं.	जिला सैनिक कल्याण बोर्ड	सेना	नौसेना	वायुसेना	कुल
1.	अंबाला	5,594	332	1,315	7,241
2.	भिवानी	5,653	370	210	6,233
3.	फरीदाबाद	4,837	613	821	6,271
4.	फतेहाबाद	1,954	37	109	2,100
5.	गुरुग्राम	11,311	2,090	2,064	15,465
6.	हिसार	9,459	212	273	9,944
7.	झज्जर	18,536	414	558	19,508
8.	जौंद	9,097	313	344	9,754
9.	कैथल	2,865	61	156	3,082
10.	करनाल	4,618	121	330	5,069
11.	कुरुक्षेत्र	5,692	173	637	6,502
12.	नारनौल	9,617	354	228	10,199
13.	पानीपत	3,182	159	270	3,611
14.	पलवल	2,632	150	109	2,891
15.	पंचकुला	2,758	189	516	3,463
16.	रोहतक	17,842	762	885	19,489
17.	रिवाड़ी	9,624	982	755	11,361
18.	सोनीपत	13,200	1,009	1,292	15,501
19.	सिरसा	1,047	23	95	1,165
20.	यमुना नगर	5,450	153	399	6,002
21.	चरखी दादरी	4,921	278	106	5,305
<b>कुल</b>		<b>1,49,889</b>	<b>8,795</b>	<b>11,472</b>	<b>1,70,156</b>

\*\*\*\*\*

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE  
**LOK SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO. 438**  
TO BE ANSWERED ON 03<sup>rd</sup> February, 2023

**SAINIK WELFARE BOARD**

438. SHRI RATTAN LAL KATARIA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

- (a) the number of Sainik Welfare Boards working across the country, State/UT-wise and the details of issues considered/decisions taken by these boards related to ex-servicemen; and
- (b) the number of ex-servicemen registered with the district Sainik Welfare Boards of Haryana, district-wise?

A N S W E R

MINISTER OF STATE  
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(SHRI AJAY BHATT)

- (a): There are 34 Rajya Sainik Boards and 409 Zila Sainik Kalyan Boards working across the country. The details are at Annexure-I. Responsibilities/functions including details of subjects considered/decisions taken by Sainik Welfare Boards are placed at Annexure-II.
- (b): The total number of Ex-servicemen registered in district Sainik Kalyan Boards of Haryana, district Sainik Kalyan Board wise is at Annexure-III.

\*\*\*\*\*

**ANNEXURE-I REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 438 TO BE ANSWERED ON 03.02.2023  
REGARDING "SAINIK WELFARE BOARD".**

DETAILS OF RAJYA SAINIK BOARDS AND ZILASAINIK BOARDS

Sl. No.	Rajya Sainik Boards in State/UTs	No. of Zila Sainik Boards
1	Andhra Pradesh	13
2	Arunachal Pradesh	0
3	Assam	19
4	Bihar	13
5	Chhattisgarh	10
6	Goa	0
7	Gujarat	9
8	Haryana	21
9	Himachal Pradesh	10
10	Jharkhand	6
11	Karnataka	13
12	Kerala	14
13	Madhya Pradesh	24
14	Maharashtra	33
15	Manipur	2
16	Meghalaya	2
17	Mizoram	4
18	Nagaland	6
19	Odisha	8
20	Punjab	22
21	Rajasthan	24
22	Sikkim	3
23	Tamil Nadu	27
24	Tripura	0
25	Telangana	10
26	Uttarakhand	14
27	Uttar Pradesh	74
28	West Bengal	13
<b>Union Territory</b>		
29	Chandigarh	0
30	Delhi	0
31	Puducherry	0
32	Jammu and Kashmir	13
33	Ladakh	2
34	Andaman and Nicobar	0
Total	34	409

\*\*\*\*\*

**ANNEXURE-II REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 438 TO BE ANSWERED ON 03.02.2023 REGARDING “SAINIK WELFARE BOARD”.**

- Responsibilities of Rajya Sainik Board: Control and Coordinate the work of ZSW Offices in the State and ensure their effective functioning. RSB also maintain liaison with Ministries of the State, State undertakings and enterprises and Banks to seek vacancies for Ex-Servicemen and widows as per reservation policy of the State and as per recruitment rules, monitor such vacancies and ensure Ex-Servicemen or widows fill these up, and have the policy on reservation for ESM in the State amended in conformity with that of Centre.
- Responsibilities of Zila Sainik Welfare Offices/Zila Sainik Board: ZSB monitor the welfare of families of servicemen and Ex-Servicemen and assist them in representing their cases with local administration or Defence authorities. Welfare organizers employed in each ZSWO/RSB play a crucial role in establishing contact with the clientele in their homes, listing their problems needs and aspirations, providing in-puts on these ZSWO/RSB, resolving these, and spreading awareness of the resettlement and welfare measures in place which they can avail-of. ZSB also Scrutinize applications for relief from various military and civil charitable funds and making suitable recommendations and provide all resettlement assistance to war widows, dependents and war disabled as well as to those who died/disabled while in service due to attributable reasons.

\*\*\*\*\*



**ANNEXURE-III REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 438 TO BE ANSWERED ON 03.02.2023  
REGARDING “SAINIK WELFARE BOARD”.**

Census Data of ESMs as on 30.09.2022-Haryana					
S.No.	District Sainik Kalyan Board	Army	Navy	Air Force	Total
1.	AMBALA	5,594	332	1,315	7,241
2.	BHIWANI	5,653	370	210	6,233
3.	FARIDABAD	4,837	613	821	6,271
4.	FATEHABAD	1,954	37	109	2,100
5.	GURUGRAM	11,311	2,090	2,064	15,465
6.	HISAR	9,459	212	273	9,944
7.	JHAJJAR	18,536	414	558	19,508
8.	JIND	9,097	313	344	9,754
9.	KAITHAL	2,865	61	156	3,082
10.	KARNAL	4,618	121	330	5,069
11.	KURUKSHETRA	5,692	173	637	6,502
12.	NARNAUL	9,617	354	228	10,199
13.	PANIPAT	3,182	159	270	3,611
14.	PALWAL	2,632	150	109	2,891
15.	PANCHKULA	2,758	189	516	3,463
16.	ROHTAK	17,842	762	885	19,489
17.	REWARI	9,624	982	755	11,361
18.	SONIPAT	13,200	1,009	1,292	15,501
19.	SIRSA	1,047	23	95	1,165
20.	YAMUNANAGAR	5,450	153	399	6,002
21.	CHARKHI DADRI	4,921	278	106	5,305
<b>TOTAL</b>		<b>1,49,889</b>	<b>8,795</b>	<b>11,472</b>	<b>1,70,156</b>

\*\*\*\*\*